1	2	3	4	5	6
Tamil Nadu	449.96	0.00	233.70	3744.64	3431.79
Tripura	64.41	4.23	56.13	224.18	143.67
Uttar Pradesh	650.00	1244.50	..	9165.57	8274.10
West Bengal	140.02	254.00	2987.30	4115.12	406 75
A. & N. Island	3.82	0.00	..	12.09	12.09
Chandigarh	0.00	0.00	..	1.17	1.17
D. & N. Haveli	8.17	3.66	..	17.96	17.80
Daman & Diu	0.00	0.00	..	1.19	1.19
Delhi	0.00	0.00	..	118.37	89.93
Lakshadweep	0.00	0.00	..	0.48	0.47
Pondicherry	0.00	3.90	..	62.14	61.56
TOTAL :	17563.00	15491.44	17870.00	103265.58	81651.76

शोधकर्ताओं को दी गई छात्रवृत्तियां

6116. **प्रो. विजय कुमार महलहोत्रा**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शोधकर्ताओं को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों में अर्थात् 1991–92, 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान कुल कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई ;

(ग) इन वर्षों के दौरान इस राशि में से कितने प्रतिशत राशि का वास्तव में उपयोग हुआ ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार इन शोधकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य का लेखा-जोखा रखती है ;

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त वर्षों में छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से वर्षवार कितने-कितने शोधकर्ता लाभांन्वित हुए; और

(च) उनमें से कितने शोधकर्ताओं ने अपने-अपने शोध कार्य पूरे किए थे और उनकी संख्या कितनी है जो अपना शोध कार्य पूरा करने से पहले ही छोड गए ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभागों) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :(क) से (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि 1991–92, 1992–93, व 1993–94 के दौरान पात्र उम्मीदवारों को जूनियर शोध अध्येतावृत्ति देने के

लिए विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित राशियां संस्वीकृत की गई थी :—

वर्ष	संस्वीकृत राशि
1991–92	रु० 7,88,62,322
1992–93	रु० 3,40,31,225
1993–94	रु० 6,69,58,137

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सूचना संकलित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) वे विश्वविद्यालय/संस्थान, जहां पर अध्येता एम. फिल./पी.एच.डी. के लिए शोध कार्य करते हैं, वहां अध्येताओं द्वारा किए गए शोध कार्य का लखा-जोखा रखा जाता है ।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(च) आयोग ने सूचित किया है कि करीब 80% शोध अध्येताओं ने अपना शोध कार्य पूरा कर लिया है तथा शेष 20% अपने कार्य को पूरा नहीं कर सके ।

Bhujanga Rao Committee to suggest promotional avenues of Kendriya Vidyalaya Teachers

6117. SHRI J. S. RAJU:

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some categories of teachers of Kendriya Vidyalayas collectively called "the OTHERS" do not have any promotional avenues at all;

(b) if so, whether it is also a fact that Bhujanga Rao Committee was set up to suggest a way out and to open promotional avenues for "OTHERS" category of teachers;

(c) if so, what are its main suggestions;

(d) whether Government have since accepted these suggestions; and

(e) if so, the details thereof and if not, reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) The revised pay structure notified by Government in August, 1987 provides a Senior Scale and also a Selection Scale for the teachers including Miscellaneous category.

(b) to (e) The Committ's main recommendation related to the introduction of elective subjects at the plus two stage which would require additional teaching posts at the higher level thereby providing some opportunity for promotion of existing teachers in the subject, However, introduction of additional elective subjects in all Kendriya Vidyalayas would require substantial additional funds. Keeping in view the present resource constraints, it is not possible to introduce the additional elective subjects.

शिक्षकों के लिए चयन वेतनमान (सैलेक्शन ग्रेड)

6118. श्री गोविन्द राम गिरि :
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के विद्यालयों/केन्द्रीय विद्यालयों में 18 वर्षों तक एक ही ग्रेड में कार्यरत शिक्षकों को चयन वेतनमान (सेलेक्शन ग्रेड) देने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही थी ;